

क्रमांक 13/2/84-एस-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष
आयुक्त अम्बाला/हिसार मण्डल व
हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त व
सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)
- 2 रजिस्ट्रार, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 6-7-1984 ।

विषय :- Leave Travel Concession.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11022/1/83-ए0आई0एस0-II दिनांक 12-1-84 की प्रति अनुलग्नकों की प्रतियों सहित, आपको सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए संलग्न है ।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

क्रमांक: 12-2-84-0 स-II दिनांक 6-7-1984

एक प्रति अनुलग्नक की प्रतियों सहित निम्नलिखित को सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य के सभी आई०पी०एस० अधिकारी ।
2. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/कारपोरेशनों के अध्यक्ष, प्रबन्धक निदेशक (केवल आई०पी०एस० अधिकारी) ।
3. महानिदेशक, पुलिस हरियाणा ।
4. मुख्य वन पाल, हरियाणा ।
5. महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

हस्ता०/-

अवर सचिव, प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा, सरकार

एक प्रति अनुलग्नकों की प्रतियों सहित सभी वित्तायुक्तों तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों व सेवा में सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए प्रेषित है ।

2. (गृह तथा वन विभाग के लिए) कृपया उपरोक्त हिदायतें सभी आई०पी०एस०/आई०एफ०एस० अधिकारियों के ध्यान में ला दी जायें ।

हस्ता०/-

अवर सचिव, प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

Copy of letter No. 11022/1/83-AIS-II dated 12-1-1984 from the Desk Officer Government of India Ministry of Home Affairs, Deptt. of Personnel and Administrative Reforms addressed to the Chief Secretary to All State Governments.

Subject :—Leave Travel Concession.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy each of this Department's O.M. No. 31011/14/83-Estt. (A) dated 29-11-1983 and No. 31011/17/83-Estt. (A) dated 27-12-83 on the above subject and to request that the contents of these orders may be brought to the notice of all the All India Service Officers of your State.